**बम्बई में राज्य औद्योगिक विकास निगम (एस० आई० डी० सी० ओ०) द्वारा रेल मार्गों का निर्माण**

803. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई मुम्बई में राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा बिछाये गये रेल मार्गों पर स्थानीय रेल-गाड़ियां पूरी तरह से नहीं चलाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन मार्गों पर स्थानीय रेलगाड़ियां कब तक आरंभ की जायेंगी ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कान्हू चरण लेंका)** : (क) और (ख) जी, नहीं। बेलापुर-मानखुर्द खंड पर पहले ही उपनगरीय गाड़ियां चल रही हैं, तथापि, न्यू बम्बई में सिडको द्वारा बिछायी गयी अन्य लाइनों पर यात्री गाड़ियों के चलाने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के बाद ही इन खंडों पर स्थानीय गाड़ियों का चलना शुरू किया जा सकता है।

**World Bank Loan for Railway Projects**

804. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a 5-Member World Bank Team visited India for appraisal on various projects funded by the Bank in respect of Railways;

(b) if so, whether any agreement with the World Bank for financing Railway Projects in India reached;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) what are the projects that were undertaken and the total loan the World Bank has agreed to provide?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): (a) A World Bank Team had visited India during the period October 14-23, 1993 for Pre-appraisal of a loan for Container Corporation of India Ltd. (CONCOR), a Public Sector Undertaking under the Ministry of Railways.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

**Clearance/pending of over charges in Western and Northern Railways**

805. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the answer to Starred Question 317 given in the Rajya Sabha on 18th August, 1993 and state how many cases of refund have since been disposed of and what is the number of claims for less than rupees one lakh still pending with the Western and Northern Railways?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): Number of cases of refund disposed of on Western and Northern Railways are 341 and no case of refund for less than Rs. 1 lakh is pending on these Railways.

**Construction/expansion of Road Over bridge Sotuh of Ghatkopar Railway Station, Bombay**

806. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a proposal to construct/expand the Road Over Bridge (ROB) South of Ghatkopar Railway Station in Bombay;

(b) whether it is a fact that the demand for this bridge has been pending since more than 10 years; and

(c) what steps are being taken to complete this project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The work is in planning stage, to be executed on deposit terms.

**भूतपूर्व और वर्तमान संसद सदस्यों को रेल पास की सुविधाएं**

807. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व तथा वर्तमान संसद सदस्यों को प्रदान की जाने वाली रेल पास संबंधी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस संबंध में निर्धारित नियम क्या-क्या हैं; और

(ग) इस सुविधा का उपयोग करने वाले भूतपूर्व सांसदों की कुल संख्या कितनी है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कानु चरण लेंका) :** (क) और (ख) संसद सदस्यों को रेलवे पासों की सुविधा समय-समय पर यथा संशोधित संसद सदस्य, वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 द्वारा शासित होती है, संसद सदस्य पहले दर्जे या वातानुकूल शयनयान में उसी दर्जे में एक साथी सहित यात्रा करने के पात्र हैं, संसद सदस्य वातानुकूल पहले दर्जे में वातानुकूल शयनयान में एक व्यक्ति सहित यात्रा करने के भी मात्र है, जिसके लिए उन्हें वातानुकूल पहले दर्जे और वातानुकूल शयनयान दर्जे के किरायों के बीच के अंतर का भुगतान करना होता है, लेकिन, यदि संसद सदस्य वातानुकूल पहले दर्जे में यात्रा कर रहे हैं और उनके साथ वातानुकूल शयनयान में कोई व्यक्ति नहीं है तो सदस्य को वातानुकूल पहले दर्जे के एक किराए और वातानुकूल शयनयान दर्जे के दो एकल किरायों के बीच के अंतर, यदि कोई हो, का भुगतान करना होगा, इसके अतिरिक्त, संसद सदस्य की पत्नी/पति प्रत्येक सत्र के दौरान एक बार सदस्य के सामान्य निवास स्थान से दिल्ली तक और वापस निवास स्थान तक पहले दर्जे या वातानुकूल शयनयान में यात्रा करने के लिए पात्र हैं।

भूतपूर्व संसद सदस्य पहले दर्जे या वातानुकूल शयनयान में उसी दर्जे में एक साथी सहित यात्रा करने के हकदार हैं।

(ग) 31-10-1993 को उन भूतपूर्व संसद सदस्यों की कुल संख्या 1169 है जिन्हें मुफ्त रेल यात्रा सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं।

**राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से चेयरकार का हटाया जाना**

808. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से चेयर-कार को हटाकर उनकी जगह थ्री टियर शयनयान लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिस्थापन किस तारीख से आरंभ होगा तथा उन रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं जिनमें ऐसी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ; और

(ग) अन्य ब्यौरा सहित उनका किराया कितना होगा ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) :** (क) से (ख) जी हां, 67 शायिकाओं वाले वातानुकूल 3 टियर कोच का एक प्रोटोटाइप निर्मित किया गया है और इसे सर्वप्रथम 2305/2306 नई दिल्ली-पटना-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस पर चलाने का प्रस्ताव है।

(ग) स्थल-दर-स्थल के आधार पर यथा अधिसूचित वातानुकूल 3-टियर शयनयान दर्जे के लिए राजधानी एक्सप्रेस के किराये नीचे दिए गए हैं :—